इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2023—भाद्र 14, शक 1945

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2023

क्र. F. Rev-6-0030-2023-Sec-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला सतना की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन जिला मैहर निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

2. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:—

अनुसूची

अनु. क्र.	विद्यमान जिले का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् जिला एवं उसका मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् जिले में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला सतना (मुख्यालय सतना).	वर्तमान जिला सतना की तहसील मैहर के समस्त 122 प. ह. एवं तहसील अमरपाटन के समस्त 53 प. ह. तथा तहसील रामनगर के 59 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	जिला सतना (मुख्यालय सतना).	वर्तमान जिला सतना में तहसील रघुराजनगर के समस्त 71 प. ह., तहसील कोठी के समस्त 33 प. ह., तहसील मझगवां के समस्त 55 प. ह., तहसील नागौद के समस्त 94 प. ह., तहसील उचेहरा के समस्त 71 प. ह., तहसील रामपुर बाघेलान के समस्त 97 प. ह., तहसील बिरसिंहपुर के समस्त 48 एवं तहसील कोटर के समस्त 27 प. ह., इस प्रकार कुल 496 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	**पूर्व में**—जिला रीवा **पश्चिम में**—जिला पन्ना **उत्तर में**—उत्तर प्रदेश (कर्वी एवं बांदा जिला) **दक्षिण में**—प्रस्तावित जिला मैहर एवं जिला शहडोल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	—	—	जिला मैहर (मुख्यालय मैहर).	वर्तमान जिला सतना की तहसील मैहर के समस्त 122 प. ह. एवं तहसील अमरपाटन के समस्त 53 प. ह. तथा तहसील रामनगर के 59 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	**पूर्व में**—जिला सीधी एवं जिला रीवा. **पश्चिम में**—जिला पन्ना **उत्तर में**—जिला सतना **दक्षिण में**—जिला कटनी एवं जिला उमरिया, शहडोल.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.